

## “आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अंतरिक्ष सैनी स०क०अ० वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग	मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी	निजी अनुरोध


श्री अंतरिक्ष सैनी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री अंतरिक्ष सैनी का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा। सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर दुर्गम क्षेत्र में अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

— 201 —  
(के०सी०पाठक)  
कृषि निदेशक  
उत्तराखण्ड,

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-क०नि०/1516 /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26.06/2024.  
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- श्री अंतरिक्ष सैनी सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग।
- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अंतरिक्ष सैनी वर्ग-3 को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी/चमोली।
- अपर कृषि निदेशक गढवाल मण्डल पौड़ी।
- गार्ड पत्रावली

  
(डा०अभय सक्सेना)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

## “आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती स्मृति राणा स०कृ०अ० वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बडकोट	मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल	निजी अनुरोध

श्रीमती स्मृति राणा वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्रीमती राणा वर्ग-3 का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा। सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें


For  
(के०सी०पाठक)  
कृषि निदेशक  
उत्तराखण्ड,

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 1515 /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26-06-2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती स्मृति राणा सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बडकोट।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बडकोट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती स्मृति राणा वर्ग-3 को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे।
3. मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल/उत्तरकाशी
6. अपर कृषि निदेशक गढवाल मण्डल पौड़ी।
7. संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
8. गार्ड पत्रावली।

  
(डा०अभय सक्सेना)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

## “आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री विशाल कुमार स०कृ०अ० वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली	मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी	निजी अनुरोध

श्री विशाल कुमार वर्ग-3 कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली से कार्यमुक्त होने के उपरान्त मुख्य कृषि अधिकारी नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल के अधीन योगदान करेगे। श्री विशाल कुमार का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

—६०१—  
(के०सी०पाठक)  
कृषि निदेशक  
उत्तराखण्ड,

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/1514 /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26/06/2024  
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री विशाल कुमार सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली को इस निर्देश के साथ कि कार्यालय में नव नियुक्ति वर्ग-3 के कार्मिकों की तैनाती होने के उपरान्त प्रतिस्थानी के रूप में योगदान करने पर श्री विशाल कुमार वर्ग-3 को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगे।
3. मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी /चमोली।
6. अपर कृषि निदेशक गढवाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड पत्रावली

  
(डा०अभय सक्सेना)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

## “आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग शासनादेश के संख्या-198739/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 14 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	कु० मनीषा असवाल स०कु०अ० वर्ग-3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी मोरी	मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी	निजी अनुरोध


कु० मनीषा असवाल वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। कु० मनीषा असवाल वर्ग-3 का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा। सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

—EOL—  
(के०सी०पाठक)  
कृषि निदेशक  
उत्तराखण्ड,

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कु०नि०/1513 /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2024-25/दिनांक 26/06/2024  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कु० मनीषा असवाल सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी मोरी, जनपद उत्तरकाशी।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी मोरी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार कु० मनीषा असवाल वर्ग-3 को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी /उत्तरकाशी
6. अपर कृषि निदेशक गढवाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड पत्रावली।

  
(डा०अभय सक्सेना)  
उप कृषि निदेशक,  
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)  
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून